HRA Este of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३ — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 443] No. 443]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2007/आश्रिवन 9, 1929 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 635(अ).—बन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 एन की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 के खंड (जी iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती पद्धित और सेवा शर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

- 1. लघु शिर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2007 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उपरोक्त पदों की संख्या उनका कॉलम (2) से (4) में विशेष रूप से उल्लिखित के अनुसार होगा।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि,—उपरोक्त पदों की भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले, उपरोक्त अनुसूची में विशेष रूप से कॉलम (5) से (14) में उल्लिखित अनुसार होंगे।
- 5. प्रारंभिक गठन.—(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन बाघ परियोजना में पदधारी अधिकारी इन नियमों के नियमित रूप से लागू होने के तुरंत पहले इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारियों के समान होंगे।
- (2) परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नित के लिए योग्यता सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन से तुरंत पहले 3 संबंधित ग्रेड में उप-नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की नियमित एवं निरंतर सेवा।

इन नियमों के लागू होने से पहले सीधी नियुक्ति वालों अधिकारियों की प्रोन्नित के लिए सेवा अवधि उनकी नियुक्ति की तिथि से गिनी जाएगी :

बशर्तें कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व सीधी नियुक्ति वालों की पदोन्नित के लिए सेवा की लम्बाई की पात्रता प्रवेश की तारीख से गिनी जाएगी।

- 6. सेवा की शर्ते: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, छुट्टी, भविष्यनिधि, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य सेवा शर्ते ऐसे नियमों और विनियमों से विनियमित होंगी जो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, और श्रेणी डी, जैसा भी मामला हो, उन स्थानों के वेतनमान के अनुरुप समयबद्ध रूप से लागू होंगे।
- 7. अपात्रता वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी एक पत्नी पहले से है।
- (ख) जिसने एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया है।

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और अन्य पदों पर लागू पर्सनल ला के अंतर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के अन्य आधार है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट होगी।

- 8. छूट देने का अधिकार जहां राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो लिखित में रिकार्ड किए गए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।
- 9 शर्त:- इन नियमों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को दिए गए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होगी।

अन्सूची पदो पदो की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद सीधी भर्ती क्या सीधी भर्ती नाम संख्या अथवा गैर के लिए केन्द्रीय के लिए आयु सीमा सिविल अपेक्षित चयन पद सेवाओं के शैक्षिक नियम 30 और अन्य के अंतर्गत योग्यताएं सेवा के अतिरिक्त वर्षी का लाभ (पेंशन नियम 1972 स्वीकार्य 15

	1	2		3	4		5	6	7		8
	1. संयुक्त निदेशक/उप वन	के आध परिवर्तन		श्रेणी ' क'	1640	00-450- 00 रु.	लाग् नही	रू लागू	लागू	नही	लागू नहीं
क् य	महानिरीक्षक 1 सीधी भर्ती निर्धारित अ शैक्षिक योग्यत के मामले में ल	के तिए ायु और गएं प्रोचित	परिवीक्षा की अवि	व द्वारा भर्त	िकी क्या भर्ती अथवा द्वारा प्रति (द्वारा द्वारा से जाने		में न तसे /	प्रोव्तति स है तो इ	मिति इसका	भर्ती लोक	स्थितियों में के लिए संघ सेवा आंयोग रामर्श किया
				का प्रतिश	त						

द्वारा साविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अथवा	14	13	12	11	10	9
(ii) 12000-18000 रु० के वेतनमान का पद धारण करने वाले उस ग्रेड में नियमित रुप से छ: वर्ष की सेवा और (ख) संरक्षित क्षेत्र के बाघ रिजर्व में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य सर्वर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नोट 2 आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी	नहीं	लागू नहीं । /	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय/ राज्य सरकारों / साविधिक अथवा स्वायत्त्वशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अथवा (ii) 12000-18000 रु० के वेतनमान का पद धारण करने वाले उस ग्रेड में नियमित रुप से छः वर्ष की सेवा और (ख) संरक्षित क्षेत्र के बाध रिजर्व में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रतिनियुक्ति द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
2. सहायक वन महानिरीक्षक	1*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्य धीन	श्रेणी "क"	12000- 375- 18000 क.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय/ राज्य सरकारों / सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों के अधीन भारतीय वन सेवा के अधिकारी (क) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अथवा (ii) 10,000-15200/के वेतनमान का पद धारण करने वाले अथवा उस ग्रेड में नियमित रूप से पांच: वर्ष की सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं
			(ख) वन्यजीव प्रबंधन में कम से कम पांच वर्ष का फील्ड अनुभव नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			नोट 2 आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.वन्यजीव	1 *(2007)	वर्ग '	12000-	लागू	35 वर्ष (केन्द्र सरकार		वन्य जीव विज्ञान
जीव	कार्यभार	क	375-	नहीं	द्वारा समय समय पर जारी		में कम से
वैज्ञानिक	के आधार		16500₹		किए गए निर्देशों और		कम 5 वर्ष के
	पर				आदेशों के अनुसार केन्द्री		अनुभव सहित
	परिवर्तन				सरकार के अधीन		किसी मान्यता
	के				सरकारी कर्मचारी/केन्द्रीय		प्राप्त
To the second	अध्याधीन				सरकारं के अंतर्गत		विश्वविद्यालय
					स्वायत्त संगठनों के		से वन्यजीव
					सरकारी कर्मचारियों के		विज्ञान अथवा
					मामलों में सामान्य		जीवन विज्ञान में
					उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष		डाकररेयडिग्री या
					और अनुसूचित जाति		समकक्ष
					या अनुसूचित जनजातियों		
					के उम्मीदवारों के लिए 45		
					वर्ष तक छूट)		
					नोट- आयु सीमा निर्धारित		
					करने के लिए भारत में		
					उम्मीदवारों से आवेदन पत्र		
					प्राप्त होने की अंतिम तिथि		
					निर्णायक तिथि होगी		
					(असम, मेघालय,		
					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,		
					मणिपुर नागालैंड,		
					त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख्र,		
N. A. S.					जम्मू कश्मीर राज्य		
					डिवीजन, लाहौल और		
					स्फीति जिले तथा		
					हिमाचल प्रदेश के चाम्बा		
		#		,	जिले का उप-प्रभाग पंज्री		
					संघ शासित क्षेत्र अंडमान		
		11 12 1			और निकोबार द्वीपसमूह		
					अथवा संघ शासित क्षेत्र		
					लक्षद्वीप के लिए निर्धारित		
					अतिम तिथि नहीं)		



9	10	11	12	13	14
9 लागू नहीं	वो वर्ष	त्रीधी भर्ती द्वारा नोट:- प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पद धारी द्वारा बाहर रहने पर हुई रिक्ति को केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के	12 लागू नहीं	13 श्रेणी ' क ' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) - अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव,राष्ट्रीय बाघ संरक्षण	14 लागू नहीं
		उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में समान पद धारित और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।		प्राधिकरण- सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य 5. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	

1	2 * (2007)		4	5	6	7	8
4. भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीशियन	- /	श्रेणी	10,000- 325 - 15200 ক্র	लागू नहीं '	35 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट)	नहीं	भौगोलिक सूचना प्रणाली में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग अथवा वास्तुशिल्प में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष

		white you are made
	नोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पंगी, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अतिम तिथि नहीं)	

9 10	11	12	13	
तागू दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा नोट:- प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पद धारी द्वारा बाहर रहने पर हुई रिक्ति को केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में समान पद धारित और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है।	लागू नहीं	श्रेणी ' क ' विभागीय प्रोच्चित समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1 अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)- अध्यक्ष 2 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4 संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य 5. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	14 लागू नहीं -

1	2	3	4	5	6	7	8
5.वित्त अधिकारी	1 *(2007) कार्यभार के आधार	ਰਸੀ ' ख'	8000-275- 13500/হ্ন0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पर परिवर्तन के अध्यधीन						4

9 10	11	12	13	14
लागू लागू नहीं नहीं	धारी, अथवा (ii) ग्रेड में 8 साल की नियमित सेवा सहित 6500-10500 रु0 के	प्रतिनियुक्ति लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं , रक्षा लेखा सेवाएं , रेलवे लेखा सेवाओं के अधिकारी नोट 1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी अथवा अन्य संगठन/ केन्द्रीय सरकार के विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट 2. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होती	लागू नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.रजिस्ट्रार	1* (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	श्रेणी ' ख'	7500-250- 12000/₹0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति	लागू	लागू
नहीं 🍃		द्वारा	केन्द्रीय/ राज्य सरकार / सांविधिक अथवा	. नहीं	नहीं
			स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी अथवा		
			(i) नियमित आधार पर समान पदधारी		
			(ii) 6500-10500 रू० में अथवा समान ग्रेड		
			में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ		
			समान पदधारी		
			(ख) प्रशासनिक और अवस्थापना मामलो		
			में पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले		
			नोट-1 इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी		
			अथवा अन्य संगठन / केन्द्रीय सरकार के		
			विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर		

	प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	
	नोट 2 आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

				नहा हाया	l de la companya de l		
1 7. आंकडा विषलेषक	2 1 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	ंग	4 6500- 200 - 10500 で0	नहीं होगी 5 लागू नहीं	6 25 से 30 वर्ष की आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्व संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति	7 लागू नहीं	8 केन्द्रीय / राउ सरकार अथा केन्द्रीय/ राउ सरकार है अधीन किस स्वायत्त निकाय आंकडा विश्लेषक वे पद पर कम र
					या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट) मोट- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी असम, मेघालय, अरुणाचल		के अनुभव सहित कंप्यूटर अनुप्रयोग, बर्ड प्रोसेसिंग में प्रवीणता तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष
	Times Pleter				प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा,सिक्किम, लद्दाख्, जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप-प्रभाग पँगी संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अतिम तिथि		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोचित समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव,राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण-	लागू नहीं
			7	अध्यक्ष 2 उप वन महानि रहम्म (वन्यजीव)- सदस्य 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.प्रोग्रामर	1 *	श्रेणी	5500-	लागू	25 से 30 वर्ष की आयु (लागू	केन्द्रीय
	(2007)	ग ।	175 -	नहीं	केन्द्र सरकार द्वारा समय	नहीं	सरकार द्वारा
	कार्यभार		9000 ₹50		समय पर जारी किए गए		मान्यता प्राप्त
	के आधार	. 45			निर्देशों और आदेशों के		किसी मान्यता
	पर				अनुसार केन्द्र सरकार के		प्राप्त संस्थान
	परिवर्तन			Y.	अधीन सरकारी कर्मचारी		से कंप्यूटर
	के				केन्द्रीय सरकार के		प्रोग्रामिंग में
	अध्यधीन				अंतर्गत स्वायत्त संगठनों		डिप्लोमा सहित
					के सरकारी कर्मचारियों		संबंधित
					के मामलों में सामान्य		अनुप्रयोगों और
					उम्मीदवारों के लिए 40		वेबसाइट के
					वर्ष और अनुसूचित		रख रखाव में
2.					जाति या अनुसूचित		तीन वर्ष के
					जनजातियों के		अनुभव सहित
					उम्मीदवारों के लिए 45		किसी मान्यता
					वर्ष तक छूट)		प्राप्त
							विश्वविद्यालय
					नोट- आयु सीमा		से स्नातक या
					निर्धारित करने के लिए		समकक्ष
					भारत में उम्मीदवारों से		
					आवेदन पत्र प्राप्त होने की		
					अंतिम तिथि निर्णायक		
					तिथि होगी (असम,		

	मेघालय, अरुणाचल	
	प्रदेश मिजोरम, मणिपुर	
	नागालैंड,	
	त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख,	
	जम्मू कश्मीर राज्य	
	डिवीजन, लाहील और	
	स्फीतिले तथा हिमाचल	
	प्रदेश के चाम्बा जिले का	
	उप-प्रभाग पंजी , संघ	
	शासित क्षेत्र अंडमान और	
	निकोबार द्वीपसमूह	
	अथवा संघ शासित क्षेत्र	
	लक्षद्वीप के लिए निर्धारित	
	अतिम तिथि नहीं)	

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	तागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोचित समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1 सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष	लागू नहीं
				2 3५ वन महानिश्चिक (वन्यजीव)- सदस्य	
				3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य	
			5	4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	

[1	2	3	4	5	6	7	8
9.आंकड़ा	1 *	The same of	5000-	लागू	25 से 30 वर्ष की आयु (आवश्यक
प्रविष्टि	(2007)	The state of the s	150-	नहीं	केन्द्र सरकार द्वारा समय		(i) किसी
प्रचालक '	कार्यभार	,1	8000	101	समय पर जारी किए गए	101	मान्यता प्राप्त
ग्रेड'ख'	के आधार		₹70		निर्देशों और आदेशों के		विश्वविद्यालय
20 4	पर		1.0		अनुसार केन्द्र सरकार के		से स्नातक
	परिवर्तन				अधीन सरकारी कर्मचारी		डिग्री या
	के				केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत		समकक्ष और
	अध्याधीन				स्वायत्त संगठनों के		
	अध्यायान				सरकारी कर्मचारियों के		(ii) संबंधित
							कंप्यूटर
					मामलों में सामान्य		अनुप्रयोगों में
					उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष		प्रवीणता सहित
					और अनुसूचित जाति		केन्द्रीय / राज्य
					या अनुसूचित जनजातियों		सरकार के
					के उम्मीदवारों के लिए 45		विभागों या
					वर्ष तक खूट)		संगठनों में
							डाटा एंट्री,
					नोट- आयु सीमा निर्धारित		प्रोग्रामिंग, डाटां
					करने के लिए भारत में		प्रोसेसिंग में
					उम्मीदवारों से आवेदन् पत्र		कम से कम
					प्राप्त होने की अंतिम तिथि		पांच वर्ष का
				1	निर्णायक तिथि होगी		अनुभव
					(असम, मेघालय,		वांछनीय :
					अरुणाचल प्रदेश मिजोरम,		किसी मान्यता
					मणिपुर नागालैंड,		प्राप्त
					त्रिपुरा,सिविकम, लद्दाख,		विश्वविद्यालय
					जम्मू कश्मीर राज्य		या संस्थान ते
					डिवीजन, लाहौल और		कंप्यूटर
					स्फीति जिलें तथा हिमाचल		अनुप्रयोग में
					प्रदेश के चाम्बा जिले का		डिप्लोमा
					उप-प्रभाग पंजी,संघ शासित		
**					क्षेत्र अंडमान और		
					निकोबार द्वीपसमूह अथवा		
Ser de la compania					संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप		
	1			1	के लिए निर्धारित अतिम		
					तिथि नहीं)		

9	10	11	12	13	14
लागू	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोच्चति	A STATE OF THE STA
नहीं				समिति (पुष्टी करण पर	
				विचार करनें के लिए)	
				1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाघ	
				संरक्षण प्राधिकरण - अध्यक्ष	
				2 34 वन महानिशिशक	
				(वन्यजीव)सदस्य	
				3 अनुसूचित जाति/	
				जनजातियों से संबंधित एक	
				अधिकारी - सदस्य	
				4. वित्तं अधिकारी, राष्ट्रीय	
				बाघ संरक्षण प्राधिकरण -	
				सदस्य	

1							
	2 .	3	4.	5	6	7	8
10.आंकडा	2 *	श्रेणी	4000-	गैर	25 से 30 वर्ष की आयु (लागू	आवश्यक
प्रविष्टि	(2007)	'ग'	100-	चयनित	केन्द्र सरकार द्वारा	नहीं	(i) किसी
प्रचालक '	कार्यभार		6000		समय समय पर जारी		मान्यता प्राप्त
ग्रेड'क'	के आधार		रु0		किए गए निर्देशों और		विश्वविद्यालय
	पर				आदेशों के अनुसार केन्द्र		से स्नातक
	परिवर्तनों				सरकार के अधीन		डिग्री या
	के				सरकारी कर्मचारी		समकक्ष और
	अध्यधीन				केन्द्रीय सरकार के		(ii) संबंधित
					अंतर्गत स्वायत्त संगठनों		कंप्यूटर
					के सरकारी कर्मचारियों		अनुपयोगों में
					के मामलों में सामान्य		प्रवीणता सहित
					उम्मीदवारों के लिए 40		केन्द्रीय / राज्य
					वर्ष और अनुसूचित		सरकार के
					जाति या अनुसूचित		विभागों या
					जनजातियों के		संगठनों में
					उम्मीदवारों के लिए 45		CONTRACTOR BOOK STATE OF THE ST
					वर्ष तक छूट)		डाटा एंट्री
					वय तक खूट)		प्रोग्रमिंग, डाटा
				6	}		प्रोसेसिंग में
7,1					नोट- आयु सीमा		कम से कम
					निर्धारित करने के लिए		पांच वर्ष का
					भारत में उम्मीदवारों से		अनुभव
					आवेदन पत्र प्राप्त होने		वांछनीय
					की अंतिम तिथि		किसी मान्यता
					निर्णायक तिथि होगी		प्राप्त

(असम, मेघालय,	विश्वविद्यालय
अरुणाचल प्रदेश	या संस्थान से
मिजोरम, मणिप्र	कंप्यूटर
नागालैंड,	अनुप्रयोग में
त्रिपुरा,सिक्किम,	डिप्लोमा
लद्दाख, जम्मू कश्मीर	
राज्य डिवीजन, लाहौल	
और स्फीत जिले तथा	
हिमाचल प्रदेश के चाम्बा	
जिले का उप-प्रभाग , के	
संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	
द्वीपसमूह अथवा संघ	
शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के	
लिए निर्धारित अतिम	
तिथि नहीं)	

9	10	11	12	13	14
लागू	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति	लागू नहीं
नहीं				समिति (पुष्टी करण पर	
				विचार करने के लिए)	
				1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय	
				बाघ संरक्षण प्राधिकरण-	
				अध्यक्ष	
377-27				2 उपः वन महानिराम्	
				(वन्यजीव)- सदस्य	
				3 अनुसूचित जाति/	
				जनजातियों से संबंधित	
				एक अधिकारी - सदस्य	
				4. वित्त अधिकारी,	
				राष्ट्रीय बाघ संरक्षण	
				प्राधिकरण - सदस्य	

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोचित समिति (पुष्टी करण पर विचार करने के लिए) 1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण- अध्यक्ष — 2 39 वन महानिर्देष्ठ (वन्यजीव)- सदस्य — 3 अनुसूचित जाति/ जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य — 4. वित्त अधिकारी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण - सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
11. चपरासी	2 * (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनों के अध्यधीन	श्रेणी 'घ'	2550- 55- 2660- 60- 3200 ₹70	लागू नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों और आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तक छूट)	THE RESERVE THE SERVE	आवश्यक (i) 8वी कक्षा उत्तीर्ण समकक्ष और (ii) साइकिल चलाने का ज्ञान
					नोट-1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्णायक तिथि होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर नागालैंड,		

		त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, - जम्मू कश्मीर राज्य डिवीजन, लाहौल और स्फीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चाम्बा जिले का उप- प्रभाग पंजी, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अतिम तिथि नहीं) नोट-2 रोजगार कार्यालय से भेजें गए उम्मीदवारों के मामलें में आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि रोजगार केन्द्र से उम्मीदवारों के नाम मांगे जाने की अंतिम तिथि तक होगी।	
--	--	--	--

		22	2.5		
2 9 AREAD	10	11	12 ,	13	14
लागू	दो वर्ष	तीर्धी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	श्रेणी ' ग ' विभागीय प्रोन्नति	लाग् नहीं
. नहीं				समिति (पुष्टी करण पर	
				विचार करने के लिए	
				1. सदस्य सचिव राष्ट्रीय	
				बाघ संरक्षण	
				प्राधिकरण - अध्यक्ष	
				2. उप वन महानिरीक्षक 📆	
				(वन्यजीव)- सदस्य	
				3. अनुसूचित जाति/	
				जनजातियों से	
				संबंधित एक	
				अधिकारी - सदस्य	
				4. वित्त अधिकारी,	
				राष्ट्रीय बाघ संरक्षण	
				प्राधिकरण - सदस्य	

[फा. सं.15/1/2006-एनटीसीए]

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य-सचिव (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

- G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by clause (giii) of section 63 read with subsection (2) of section 38N of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of the officers and other employees of the National Tiger Conservation Authority, namely:-
 - 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Recruitment and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
 - 3. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
 - 4. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.— The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (14) of the Schedule aforesaid.
 - 5. Initial constitution.— (1) Officers holding posts in the Project Tiger under the Ministry of Environment and Forests, immediately before commencement of these rules on a regular basis, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
 - (2) The regular and continuous service of officers referred in sub-rule (1) in the respective grades immediately before probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service:

Provided that eligibility length of service for promotions to those appointed directly before commencement of these rules shall count from the date of entry.

- 6. Conditions of Service.— The conditions of service of the officers and other employees of the National Tiger Conservation Authority in matters of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and other retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees to Group A, Group B, Group C and Group D, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.
- 7. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 8. Power to relax.— Where the National Tiger Conservation Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Environment and Forests, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 9. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of Pay.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services	Educational and other qualifications required for direct recruits.
----------------	------------------	-----------------	------------------	---	--------------------------------------	--	---

(1)						(Pension) Rules, 1972.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Joint Director/Deputy Inspector General of Forests.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 16400- 450- 20000.	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not applicable

and pro	riod of obtain, any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation grade from which promotion/deputation to be made.	If a Departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(14)
Not No		(11) By deputation	(12) By deputation: Officer of the Indian Forest Service under the Central/State Governments/Statutory or Autonomous Bodies (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 12000- 18000 or equivalent with six year's, regular service in the grade; and (b) having at least five years of experience in a tiger reserve of protected area. Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation /	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			shall ordinarily not exceed three years.		*
			Note 2. The maximum age limit for	Equipment were an included the state of the	TO STATE OF
			appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as		
			on the closing date of receipt of applications.	W	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.Assistant Inspector General of Forests.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'A'.	Rs. 12000- 375-18000.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.
/0\	(10)	(11)		(12)	1	(13)	(14)
(9) Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	By deputation: Not				Not applicable.
			including per another ex-commediately appointment organisation Central Governot exceed to the Note 2. The appointment organism of the comment	od of deputation riod of deputation riod of deputation adre post held preceding this in the same or department of department of three years.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(0)
3. Wildlife	1* (2007)	Group 'A'.	Rs. 12000-	Not	35 years (Relaxable	Not Not	(8)
Biologist.	Subject to		375-16500.	applicable.	for Government	The state of the s	Doctoral
	variation			application.		applicable.	Degree in
	depend on			I M WENNESD	Servants/Employees		Wildlife
	workload.				of Autonomous		Science or
		P. Bright St.			Organizations under		Life
					the Central		Sciences
				a was on the	Government upto		from a
					40 years in the case		recognised
				The second	of general candidate		University
					and upto 45 years in		equivalent
					the case of		with at lea
					candidates		five years
					belonging to the		experience
					Scheduled Castes or		in the field
					Scheduled Tribes in		of wildlife
					accordance with the		sciences.
					instructions or		
					orders issued by the		
					Central		
					Government from		
					time to time)		
					Note. The crucial		
					date for determining		
					the age limit shall		
	- Cum - State (be the closing date		
4					for receipt of		
	The second second				applications from		
					candidates in India		
	N. S. LESS				The second secon		
and the state of					(and not the closing		
	C. S. S.				date prescribed for		
					those in Assam,		
					Meghalaya,		
					Arunchal Pradesh,		
					Mizoram, Manipur,		
					Nagaland, Tripura,		
					Sikkim, Ladakh		
	1 - 3 - 3				Division of Jammu		
					and Kashmir State,		
No. of the last					Lahaul and Spiti		
1038					District and Pangi		
					Sub-Division of		
					Chamba District of		
		A STREET			Himachal Pradesh,		
200		and the second			the Union Territory	No.	
					of Andaman and	E La Her	
	Sala Visit	31.50			Nicobar Islands or	A STATE OF THE PARTY OF	
				-1.	the Union Territory	100	
					of Lakshadweep).		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled up on deputation from officials of the Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies holding similar posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits.	Not applicable.	Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Additional Director General of Forests (Wildlife) – Chairman 2. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Joint Director, National Tiger Conservation Authority-Member 5. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority-Member Conservation Authority-Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) .	(6)	(7)	(8)
4. Geographical	2 * (2007)	Group 'A'.	Rs. 10000-	Not	35 years	Not	Three year
Information	Subject to		325-15200.	applicable.	(Relaxable for	applicable.	Diploma in
System	variation				Government		Civil
Fechnician.	depend on			× 1	Servants/		Engineering o
	workload.				Employees of		Architecture
		STATE OF THE PARTY		*	Autonomous	1 2 2 2 2 2	from
					Organizations		recognised
					under the		University o
					Central		Institute c
					Government		equivalent
					upto 40 years in the case of		with at leas
				No.			five year
					general candidate and		experience i
							Geographical Information
					upto 45 years in the case of		System with.
					candidates		System with.
					belonging to		
					the Scheduled		
					Castes or		
		the same			Scheduled		
					Tribes in		
					accordance		
					with the		-0-
					instructions or		
					orders issued		
				- ALLESED	by the Central	ALC: NO.	
				The state of	Government		

¹ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					from time to time) Note. The		
		7			crucial date for determining the age limit		
					shall be the closing date for receipt of		
			- 14		applications from candidates in		
					India (and not the closing date prescribed		
					for those in Assam, Meghalaya,		
					Arunachal Pradesh, Mizoram,		
					Manipur, Nagaland,		
					Tripura, Sikkim, Ladakh		
					Division of Jammu and Kashmir State,		
			1		Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-		
100 to 10					Division of Chamba District of		
					Himachal Pradesh, the Union		
					Territory of Andaman and Nicobar		
					Islands or the . Union		
					Territory of Lakshadweep.		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note. Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or leave or under other circumstances for a period of one year or more, may be filled up on deputation from officials of the Central/State Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies holding similar posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits.	Not applicable.	Group 'A' Department Promotion Committee (for considering confirmation 1. Additional Director General of Forests (Wildlife) – Chairman 2. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member 4. Joint Director, National Tiger Conservation Authority-Member 5. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Finance Officer.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group "B".	Rs. 8000-275- 13500.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (a) (i) holding analogous posts; or (ii) holding post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent with eight years of regular service in the grade.	Deputation: Officers of the Audit and Accounts Service, Defence Account Service, Railway Account Service Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.Registrar,	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'B'.	Rs. 7500-250- 12000.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers under the Central/State Governments/Statutory or Autonomous Bodies — (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding posts in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent with three years regular service in the grade; and (b) possessing five years experience in administrative and establishment	Not Applicable.	Not applicable
		To general in the second of th	Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.Data Analyst.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'C'.	Rs. 6500- 200-10500.	Not applicable.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of autonomous organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in case of the candidates belonging to the	Not applicable.	Bachelor's Degree of a recognized University or equivalent, with proficiency in computer applications word processing with at least
					Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date		three years experience as data analyst in Central/State Government or an autonomous organization under the Central/State Government

those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)	a a	Meghalaya, Arunachal I Mizoram, M Nagaland, T Sikkim, Lac Division of and Kashmi Lahaul Spit and Pangi S Division of District of Himachal P the Union T of Andamai Nicobar Isla				
--	-----	---	--	--	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation):	Not applicable.
				1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Chairman 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.Programmer.	1* (2007) Subject to variation depend on workload.	Group 'C'.	Rs. 5500- 175-9000.	Not applicable.	25 to 30 years of age (Relaxable for Government Servants/Employees of Autonomous Organizations under the Central Government upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,	Not applicable.	Bachelor's degree from recognised University or equivalent, with diploma in computer programming from a Institute recognised by the Central/State Government having at least three years experience in the field along with related applications and maintenance of website.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).		

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation):	Not applicable
onesymal his or pr la miss fit minumes. his contraction fich a most	A man "Terminan market Gall Process delementer	Sign and as a control of the control	in to long of the straight of	Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Chairman Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) - Member An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member	
		gl-ban son	Da iet Librer I	4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.Data	1* (2007)	Group	Rs. 5000-	Not	25 to 30 years of	Not .	Essential:
Entry	Subject to	"C".	150-8000.	applicable.	age (Relaxable for	applicable.	(i). Bachelor's
Operator	variation	0.00			Government		degree from a
Grade	depend on	301 911			Servants/Employees		recognized
	workload.				of Autonomous		University or
B'.	workidad.	e lesa la					equivalent; and
					Organizations under		
					the Central		(ii). At least five
					Government upto		year's experience in
		4			40 years in the case		Central/State
					of general		Government
					candidates and 45		Departments or
		and the second			years in the case of		organizations data
			To entour rot.		candidates		entry,
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	i anomicilgan		belonging to the		programming, data
		badian	of asiabilities		Scheduled Castes or		processing with
			adr ten has)		Scheduled Tribes in		proficiency in
		The Link b	date prescella		accordance with the		related computer
		S. I. S. II.	those in Assa		instructions or		applications.
			Stavetestrabe				applications.
		and Steam	all lumanus Pa		orders issued by the		Desirable:
			Marini d/		Central		
	10 300		al basises		Government)		Diploma in
					Note. The crucial		computer
					date for determining		applications from a
					the age limit shall		recognised
					be the closing date		University or
					for receipt of		Institute or
			Sixtime bada		applications from		equivalent.
			LAo hoising		candidates in India		
		4	attunk nel linn		(and not the closing		
			Takas Maked		date prescribed for		
			and Parist Su		those in Assam,		
		- A define	Division of C		Meghalaya,		
			la Johnson		Arunachal Pradesh,		
			a9 Delandel		The state of product in the state of the sta		
	HOSE PRO		English of		Mizoram, Manipur,		
			namabatA te	MARCH ST.	Nagaland, Tripura,		
			refel sedest-f		Sikkim, Ladakh		
			Inerthena		Division of Jammu		
			on of sels if he		and Kashmir State,	TANKS ON	
					Lahaul Spiti District		
					and Pangi Sub-		
					Division of Chamba		
	100				District of		
			The state of the s		Himachal Pradesh,		
	8				the Union Territory		
					of Andaman and		
	1				Nicobar Islands or	1 -	
				1	The state of the series and the seri		
			Self y		Union Territory of		
	TO TO A		La Contraction		Lakshadweep).		

(9)	(10)	. (11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Department Promotion Committee (for	Not applicable
аррисиоте	years	data presented for those in Assim.		considering confirmation):	аррисави
		Moghalayan		1. Member Secretary,	
		Againachal Gradesh, Misaram Mwaram		National Tiger Conservation Authority - Chairman	
		Nondinid, Lupina, Sikson, Ludaka		2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) –	
		Division of Informs		Member	
		and Kashmir State Lahan) Spiri District		3.An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled	
		Division of Charena		Tribes – Member 4. Finance Officer, National	14
		District of		Tiger Conservation Authority	
		Himselpal Pradestu.		- Member	
		biju annisho A To			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.Data	2* (2007)	Group	Rs. 4000-	Non-	25 to 30 years of	Not	Essential:
Entry	Subject to	'C'.	100-6000.	selection.	age (Relaxable for	applicable.	(i). Bachelor's
Operator	variation	~			Government		degree from a
Grade 'A'.	depend			(21)	Servants/Employees		recognized
	on Alba	ALC: THE RESERVE OF THE PARTY O		disologia min	of Autonomous	et in the	University or
- Manifequi	workload.	an Count	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Organizations under		equivalent; and
	Tatestann	magy shr	opisuos (c)		the Central		(ii). At least three
					Government upto		year's experience
	The second secon	erose tec			40 years in the case		in Central/State
	0001573704	The second secon			of general		Government
		y . Chui			candidates and 45		departments or
	breneral				years in case of the		organizations in
	(3)	tb(rW) rat	PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		candidates		data entry, data
			odensta la		belonging to the		processing with
		ficer balt			Scheduled Castes or		proficiency in
	Scheduled				Scheduled Tribes in		related computer
	The second second	racintol/E-			accordance with the		applications.
	IsrhinsV.,				instructions or		
	schoduct a	NEW TOZERO			orders issued by the		Desirable:
		32	analy - In		Central -		Diploma in
					Government)		computer
	1				NOTE: The crucial		applications from
		151			date for determining		a recognised
					the age limit shall		University or Institute
					be the closing date		
					for receipt of		equivalent.
			4.		applications from		
		E H	E PRINCIPAL SE		(and not the closing		
	- Valley To	200					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).		

(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(13) Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation):	Not applicable
				1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Chairman 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) - Member 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member 4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Peon.	2* (2007)	Group	Rs. 2550-	Not	Not exceeding 30	Not	Essential:
	Subject to	'D'.	55-2660-60-	applicable.	years (Relaxable upto	applicable.	(i). Passed 8th
	variation		3200.		40 years for	applicable.	
	depend on		5200.				standard or
			Spirit Sept 1		Government		equivalent;
	workload.	1000			servants/employees		and
		123			of Autonomous		(ii). Knowing
					Organizations under		cycling.
		A SECTION OF THE			the Central		Cycling.
	0	A PART OF					
					Government in the	or the same of	
		101500			case of general		
					candidates and 45		
					years in the case of		
		STATE OF THE STATE			candidates belonging		
					to the Scheduled		
					Castes or Scheduled		Basic Gall
					Tribes in accordance		
	1				with the instructions		
	1965 70 175	1.0					
					or orders issued by		
	STATE OF STATE				the Central		
		The Course			Government).		
				100000000000000000000000000000000000000	Note 1. The crucial		
					date for determining		
					the age limit shall be		
					the closing date for		103
					receipt of	ACCEPTANT OF	
					applications from		
					candidates in India		REPORT OF
					(and not the closing		
			The Track S.	BARTET BA	date prescribed for	W. C.	
		100000000000000000000000000000000000000			those in Assam,		THE PARTY OF
		The Side	CONTRACTOR STA				
					Meghalaya,		
					Arunachal Pradesh,		
					Mizoram, Manipur,		
					Nagaland, Tripura,		
					Sikkim, Ladakh		
					Division of Jammu		
					and Kashmir State,		
					Lahaul and Spirit		
		250 See 3			District and Pangi		
					Sub-Division of		
				A TOP OF THE REAL PROPERTY.		A PINTER	THE STATE OF THE S
	BLA COUNTY				Chamba District of		
					Himachal Pradesh,		Jest to the last
				Sometime to	the Union Territory	Sure les de la constant de la consta	
					of the Andaman and		
					Nicobar Island or the		
		V2			Union Territory of		
			2007		Lakshadweep).		STATE OF THE STATE
					Note 2. The crucial		
		11 17 17 18 18 18			date for determining		
					the age limit in the		
		2 18 11 12 2	Sales Nation		case of candidates		
					from Employment		
					Exchange shall be the		
		W A			last date up to which		
					the Employment		
	0.50			and the second	Exchange is asked to	· 1	m. mr. a. i
		Discovered to the second		7	submit the names.	THE PROPERTY OF STREET	

9(8)	10	11	12	130	14
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Member Secretary, National Tiger Conservation Authority - Chairman 2. Deputy Inspector General of Forests (Wildlife) – Member 3.An officer belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes – Member	Not applicable
		as male case of a didates belonging a		4. Finance Officer, National Tiger Conservation Authority— Member	

[F. No. 15-1/2006-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Member-Secy. (National Tiger Conservation Authority)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 636(अ).— केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (जी वी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण की विषिक्त रिपोर्ट तैयार करने के स्वरुप और तारीख तथा विषिक्त लेखा विवरण को विनिर्दिष्ट करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

- 1. लघु शीर्ष और (आरम्भ----(1) इन नियमों कों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण) नियमावती, 2007 कहा जाएगा ।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. परिभाषा इन नियमों में, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ;
 - (क) " अधिनियम " का तात्पर्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) है ।
 - (ख) " स्वरुप " का तात्पर्य इन नियमों के साथ अनुबद्ध स्वरुप ।
 - (ग) 'सदस्य- सचिव'का तात्पर्य अधिनियम की धारा 38 एल की उपधारा (2) के खंड (0) के अंतर्गत नियुक्त बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव है ।
 - (घ) ^(६) बाघ संरक्षण प्राधिकरण का तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ।
- 3. बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट :- (1) सदस्य सचिव अथवा इसके लिए सदस्य सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत बाघ संरक्षण प्राधिकरण का कोई अन्य अधिकारी अगले दित्तीय वर्ष. जिससे वह रिपोर्ट सम्बद्ध है, की अगली जुलाई की 31 तारीख को अथवा उससे पूर्व अधिनियम की धारा 38 एस में संदर्भित फार्म " ए" में दिए विवरण को देखते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे ।
- (2) बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (3) अधिप्रमाणित रिपोर्ट की दो प्रतियां सदस्य सचिव द्वारा केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 38 टी के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने में केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए संबंधित वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के अगस्त के अंत तक प्रस्तुत करेगा।
- 4. बाघ संरक्षण प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण- बाघ संरक्षण प्राधिकरण लेखा का रखरखाव करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 38 आर में उल्लिखत लेखा का वार्षिक विवरण फार्म ही में तैयार करेगा।